भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 981
10/02/2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

देश में समुद्री कचरे की स्थिति

981 श्रीमती वंदना चव्हाण:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के तटीय राज्यों में मिलने वाले समुद्री कचरे पर कोई अध्ययन कराया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2018 में घोषित की गई राष्ट्रीय समुद्री कचरा नीति बनाई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने देश में तटीय राज्यों के समुद्री किनारों पर मिलने वाले कचरे की विभिन्न श्रेणियों का विश्लेषण किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) गत चार वर्षों में सरकार द्वारा तटीय राज्यों की परिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था पर समुद्री कचरे के खतरनाक प्रभावों को कम करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) जी, हाँ। पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह को कवर करते हुए नौ तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग-अलग अध्ययन किए गए हैं।

(i) मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र, ने 2018, 2019, और 2021 के दौरान समुद्र तट की सफाई गतिविधियों, नियमित अंतराल पर जागरूकता कार्यक्रम और समुद्र तट पर कचरे की मात्रा का अध्ययन किया है।
(ii) भारत के दक्षिण-पूर्वी तट के समांतर चुनिंदा समुद्र तटों पर समुद्री कचरे और माइक्रोप्लास्टिक वितरण और अभिलक्षणों पर विभिन्न समुद्र तट गतिविधियों के प्रभाव का अध्ययन भी किया गया।
(iii) प्रमुख प्लास्टिक संचयन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भारत के पूर्वी तट के समानान्तर तटीय समुद्र और अपतटीय तलछट में सूक्ष्म प्लास्टिक अध्ययन किए गए और डेटा को अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय समुद्री कचरा नीति के निर्माण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) चूंकि समुद्री कचरा के स्रोतों, रास्तों, परिवहन प्रक्रियाओं, और समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाले कचरे की मात्रा के परिमाणीकरण पर डेटा की कमी है, इसलिए कचरे का मापन जो पॉलिसी पेपर के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, के लिए कई अध्ययन किए गए हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर) के माध्यम से भारतीय तटों और आसन्न समुद्रों के समानान्तर समुद्री कचरे के अस्थायी और स्थानिक वितरण की निगरानी शुरू की है। अब तक के शोध से संकेत मिलता है कि समुद्री कचरा पूरे जल स्तंभ और तलछट के साथ फैले हुए हैं और इसे मानसून के दौरान वर्षा जल के खाड़ी/नदियों/मुहाने के माध्यम से तटीय समुद्र में फैल जाने के कारण उच्च मात्रा में देखा जाता है।

(ii) इसके अलावा, राष्ट्रीय समुद्री कचरा नीति तैयार करने हेतु रोडमैप तैयार करने के लिए विभिन्न शोध संस्थानोंके वैज्ञानिकों, हितधारकों, नीति निर्माताओं, उद्योग और अकादमिक विशेषज्ञों को शामिल करते हुए कई राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

(iii) इसके अलावा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और इसके संशोधनों को अधिसूचित किया है, जो देश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वैधानिक अवसंरचना प्रदान करते हैं। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (पीडब्लूएम) नियम, 2016, देश में पचास माइक्रोन से कम मोटाई के कैरी बैग और प्लास्टिक शीट के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करने वाले पाउच पर पूर्ण प्रतिबंध है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 21 जनवरी 2019 को सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों को "सिंगल-यूज प्लास्टिक के लिए मानक दिशानिर्देश" भी जारी किए थे। इसके अलावा, भारत सरकार ने स्वच्छ और धारणीय वातावरण विकसित करने के लिए "स्वच्छ भारत अभियान", के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए हैं जो समुद्री कचरा नीति में योगदान करते हैं।

(ग) जी हाँ। तटीय राज्यों के तटों पर पाए जाने वाले कचरे की विभिन्न श्रेणियां इस क्रम में हैं: -

(i) प्लास्टिक- प्लास्टिक का एक बार उपयोग यानी बोतलें, खाद्य रैपर, कटलरी आइटम, पॉलिथीन बैग,
(ii) मछली पकड़ने के जाल,
(iii) कांच - शराब की बोतलें,
(iv) रबर- जूते
(v) कपड़े- फेस मास्क और धार्मिक गतिविधियाँ
(vi) कागज,
(vii) धातु और
(viii) विविध वस्तुएं - डायपर और घरेलू सामग्री।

(घ) तटीय राज्यों की पारिस्थितिकी पर समुद्री कचरे के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए पिछले चार वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कुछ उपाय हैं:

(i) राष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से समुद्र तट की सफाई और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र, अनुसंधान संस्थान और गैर सरकारी संगठन शामिल हैं।

(ii) नियमित अंतराल पर वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं और समुद्री प्रदूषण के स्तर को प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को समुद्री पर्यावरण पर प्लास्टिक/समुद्री कूड़े के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रसारित किया जाता है।

(iii) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से "स्वच्छता कार्य योजना" के एक घटक के रूप में एक क्लीन ओशन मिशन (स्वच्छता सागर) के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है।

(iv) मत्स्य पालन और बायोटा पर विभिन्न प्रकार के पॉलिमर (माइक्रोप्लास्टिक्स) के प्रभाव को समझने के लिए प्रदूषण के स्तर का अनुमान लगाने के लिए शोध किया गया है।

(v) चिन्हित एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है और कई राज्य सरकारों ने समुद्री कचरे के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए इसे पहले ही लागू कर दिया है।

****